International Journal of Applied Research 2018; 4(8): 150-156

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(8): 150-156
www.allresearchjournal.com
Received: 16-06-2018
Accepted: 18-07-2018

सोनिया दहिया
शोध छात्रा (अर्थशास्त्र विभाग), वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत।

डॉ सीमा शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र विभाग), वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत।

Correspondence
सोनिया दहिया
शोध छात्रा (अर्थशास्त्र विभाग), वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत।

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति

सोनिया दहिया, डॉ सीमा शर्मा

सारांश
भारत एक कृषि प्रधान और खाद्य समृद्ध देश है। इसके बावजूद गरीबी की समस्या इस हद तक बढ़ रही है कि आज हमारे देश का हर तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। 2012 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, भारत आर्थिक रूप से उन्नत होने के बावजूद यहाँ गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जो कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, आटा आदि जैसी मुख्य खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवायी जाती है। समय बीतने के साथ राशन की दुकानों की संख्या बढ़ रही है। 1960 में केवल 47,000 दुकानें थी जो 1984 में 3.12 लाख तक और 1996 में 4.37 लाख तक बढ़ी। 2018 में 5.35 लाख तक बढ़ी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है।

मूल शब्दः हरियाणा, सार्वजनिक, कृषि प्रधान इसके बावजूद, गरीबी की समस्या

प्रस्तावना
ए.पी.एल. (ग्रीन कार्ड) और बी.पी.एल. (पीला कार्ड) राशन कार्ड 1 मई, 1997 को हरियाणा में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शुरू किया गया था। 23 मई, 2001 को अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) शुरू की गई जिसमें बी.पी.एल. से नीचे आने वाले उपभोक्ताओं को ए.ए.वाई. कार्ड (गुलाबी रंग) प्रदान किया गया था उन्हें गेहूँ 2.10/– प्रति किलो के भाव से 35 किलोग्राम प्रदान किया जा रहा है। यह शोधपत्र द्वितीयक आँकडो पर आधारित है। इस विश्लेषण के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और सार्वजनिक वितरण विभाग हरियाणा द्वारा जारी किए गए वर्ष 2017 के आँकडो का प्रयोग किया गया है। इस शोधपत्र में उपरोक्त विश्लेषण के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), आर्थोपेडिक शारीरिक रूप से विकलांगों (ओ.पी.एच.), केन्द्रीय गरीबी रेखा से नीचे (सी.बी.पी.एल), राज्य गरीबी रेखा से नीचे (एस.बी.पी.एल.) और हरियाणा में कुल मात्राओं के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत होने वाली विभिन्न मदों (गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, दाल, चीनी, बाजरा) की विवेचना की गयी है। इस शोधपत्र में सभी वस्तुओं की जिलेवार आबंटित मात्रा में प्रत्येक जिले में जारी ए.ए.वाई., ओ.पी.एच., सी.बी.पी.एल., एस.बी.पी.एल. और हरियाणा में कुल मात्राओं के कुल राशन कार्डो की संख्या का भाग देकर प्रति राशन कार्ड प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली मात्रा का आंकलन करने के लिए, इन प्राप्त मात्राओं पर कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग कर प्रत्येक जिले को आबंटित मात्रा के अनुसार क्रमों में विभाजित किया गया है। कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग रैंकिंग देने के लिए किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य वस्तुओं का संपूर्ण आबंटन कौनसे जिले में सबसे ज्यादा हुआ है और कौनसे में कम हुआ है।

परिचयात्मक
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली
भारत एक कृषि प्रधान और खाद्य समृद्ध देश है। इसके बावजूद गरीबी की समस्या इस हद तक बढ़ रही है कि आज हमारे देश का हर तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। 2012 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, भारत आर्थिक रूप से उन्नत होने के बावजूद यहाँ गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। गरीबी के कारण, भोजन की समस्या बढ़ जाती है। गरीबी और भूख को खत्म करने के लिए भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोग योग्य वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से वितरित किया जाता है ताकि सभी उपभोक्ता पर्याप्त मात्रा में निर्धारित दर पर खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकें।

इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को विशेष रूप से निम्न दर पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना है। खाद्य वस्तुओं की कमी की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन् 1939 में लागू किया गया। 1947 में, इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था लेकिन 1951 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को फिर से पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 1956 में, सरकार ने स्थायी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई। इस प्रणाली को नियमित रूप से चलाने के लिए सरकार FCI, CONFED और AGRO इत्यादि के माध्यम से अनाज खरीदती है और इन खाद्य वस्तुओं के वितरण के लिए राशन डिपो खोलती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की आर्थिक नीति का एक महत्त्वपूर्ण साधन है जो कि निश्चित मूल्य दर पर जनता को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। यह गरीबी उन्मूलन नीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक है जो गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। यह प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत चलाई जाती है। उपभोक्ताओं को उचित दर पर अनाज वितरित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसके अलावा राशन का वितरण, बी.पी.एल. परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना व उचित दर की दुकानें आदि कार्य करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

भारत में इस प्रणाली के तहत गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, आटा आदि जैसे मुख्य सामान उपलब्ध कराए जाते है। समय बीतने के साथ राशन की दुकानों की संख्या बढ़ रही है। 1960 में केवल 47,000 दुकानें थी जो 1984 में 3.12 लाख तक और 1996 में 4. 37 लाख तक बढ़ी। 2018 में 5.35 लाख तक बढ़ी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। खाद्य वस्तुओं के उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनो के बीच एक निश्चित खरीद मूल्य तय करके तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी खाद्य वितरण प्रणाली की है इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब भी गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य स्त्रोत है।

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश की खाद्य सुरक्षा नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है जिसका मुख्य उद्देश्य निम्न दरों पर उचित मात्रा में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को प्रदान करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, केन्द्र सरकार गेहूँ और अन्य आवश्यक वस्तुओं को राज्य सरकार को आबंटित करती है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुएँ वितरित करने के लिए ब्छथ्म्क के माध्यम से राशन डिपो को गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्रदान करती है। राज्य सरकार ने खाद्य और आपूर्ति विभाग के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफलतापूर्वक चलाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की है, जहाँ उपभोक्ता अपनी श्रेणी और परिवार के सदस्यों के अनुसार निम्न दर पर वस्तुएँ प्राप्त कर सकते है। 600 राशन कार्डों पर राशन डिपो का प्रावधान है और यदि राशन कार्ड की संख्या 1200 से अधिक हो गई है तो एक अन्य राशन डिपो का प्रावधान है। उचित दर की दुकानों को ग्राम पंचायत/विधायक/एम.पी की सिफारिश पर ही किसी व्यक्ति को नामांकित किया जाता है। राशन डिपो के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगले महीने के राशन के लिए डिपो धारको को राशि हर महीने की 25 तारीख को जिला प्रबंधक को जमा करवानी होती है। डिपो धारक को उस महीने की 10 तारीख तक राशन प्राप्त होगा। डिप्टी कमीश्नर जिला निवारण समिति की मासिक बैठक में वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करता है। उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति और वितरण की निगरानी के लिए वार्ड/ग्राम स्तर पर निगरानी समिति का प्रावधान है। समिति डिपो धारक द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण की अनियमितता के मामलें में खाद्य और आपूर्ति विभाग के सम्बंधित अधिकारी को बताएगी। ए.पी.एल. (ग्रीन कार्ड) और बी.पी.एल. (पीला कार्ड) राशन कार्ड 1 मई, 1997 को हरियाणा में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शुरू किया गया था। 23 मई, 2001 को अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) शुरू की गई जिसमें बी.पी.एल. से नीचे आने वाले उपभोक्ताओं को ए.ए.वाई. कार्ड (गुलाबी रंग) प्रदान किया गया था उन्हें गेहूँ 2.10/– प्रति किलो के भाव से 35 किलोग्राम प्रदान किया जा रहा है। 2008–09 में खाद्य पदार्थो के सही ढंग से वितरण करने के लिए पुराने राशन कार्डो की जगह स्मार्ट कार्ड सिस्टम शुरू किया गया। यह प्रणाली शुरू में सिरसा जिले में शुरू हुई थी।

साहित्य का पुनरावलोकन

एक विस्तृत साहित्य पुनरावलोकन किसी भी शोधपत्र के लिए अति आवश्यक है। यह शोधपत्र के लिए सार्थक मीमांसात्मक (मानसिक) ढांचा प्रदान करता है। शोध कार्य के उद्देश्यों के लिए पद्धति और प्रक्रिया संबंधी सूक्ष्म दृष्टि एवं अंत में अन्वेषण की व्याख्या के लिए आधार प्रदान करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका संबंधी पहलुओं पर किए गए कुछ अध्ययनों का विवरण निम्न प्रकार है :

- **चरण** ने **2012** में अपने अध्ययन में बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रिसावों का अध्ययन किया। इनका अध्ययन प्राथमिक व द्वितीयक आँकडों पर आधारित है। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। लेकिन 2011–12 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काफी सुधार देखने को मिला है। इन्होंने पाया कि जहा सन् 2004–2005 में केवल 10 प्रतिषत गरीब ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित हो रहे थे उनकी संख्या सन् 2010–2011 में बढकर 45 प्रतिषत हो गई तथा इन्होंने देखा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों के उठाव में यहां जिलों के मध्य अत्यधिक विचरण पाया गया। इन्होंने यह भी देखा कि बिहार में 75 प्रतिषत उचित मूल्य की दुकानें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम व महिलाओं को आबंटित की गई है। इसके अलावा इन्होंने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भ्रष्टाचार, रिसाव, निश्चित कीमत से अधिक कीमत की वसूली, अनियमित तोल आदि अनेक समस्याएं देखी। इसके अलावा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चयनित बीपीएल परिवारों की संख्या में भी अन्तर पाया गया जिस कारण पूर्ण रूप से अनाज जारी नही किया जा रहा।
- **बी.एस. सावंत, राहुल जे. जावद** ने **2013** में 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में आवश्यक वस्तुओं की सामाजिक सुरक्षा', महाराष्ट्र के सितारा जिले पर एक अध्ययन किया और पाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब परिवारों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न वस्तुएँ बांटने का कार्य करती है, लेकिन शोधकर्ता ने पाया कि गरीब परिवार भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और अक्षमताओं के कारण इन वस्तुओं को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं।
- **अंजनी अयप्पा** ने **2014** ने अपने शोधपत्र में भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति में अस्थायी परिवर्त्तनों का आंकलन किया है। अध्ययन में पाया कि भारत में खाद्य सुरक्षा के मामले में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली

के लागू होने से गरीबी में कमी और खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ है, और समय के साथ–साथ सुधार में वृद्धि हो रही है। इस शोधपत्र में अनाज की राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता के मामले में, भोजन और आवश्यक पोषक वस्तुओं का गरीब जनता तक घरेलू स्तर पर पहुँच, के मामले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के योगदान की जांच की है।

- **अंजिक्य टैंकेले** ने **2015** ने अपने शोधपत्र में लोगों की भूख व उनके भोजन की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभाव की जांच की। इन्होनें मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिचालन, सामरिक पहलुओं पर प्रभाव डाला है और एनएफएसए (छथै।) पर इसके प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित करते है। उन्होनें पाया कि सीमित संसाधन, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या बुनियादी ढ़ांचे की कमी परिचालन अक्षमता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ठीक से लागू न होना आदि इस प्रस्तावित अधिनियम 2013, के सफल कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाएं है। यह अध्ययन अनाज की खरीद, भण्डारण और वितरण में प्रमुख सुधारों की आवश्यकता पर जोर देता है।

शोधपत्र का उद्देश्यः

- हरियाणा के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति की विवेचना करना।

अध्ययन विधि

यह शोधपत्र द्वितीयक आँकडो पर आधारित है। इस शोधपत्र में अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), आर्थोपेडिक शारीरिक रूप से विकलांगों (ओ.पी.एच.), केन्द्रीय गरीबी रेखा से नीचे (सी.बी.पी. एल), राज्य गरीबी रेखा से नीचे (एस.बी.पी.एल.) और हरियाणा में कुल मात्राओं के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली विभिन्न मदों (गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, दाल, चीनी, बाजरा) के वितरण का उल्लेख किया गया है। इस विश्लेषण के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और सार्वजनिक वितरण विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किए गए वर्ष 2017 के आँकडो का प्रयोग किया गया है तथा विश्लेषण के लिए सभी वस्तुओं की जिलेवार आबंटित मात्रा में प्रत्येक जिले में जारी अंत्योदय अन्न योजना(ए.ए.वाई.), आर्थोपेडिक शारीरिक रूप से विकलांगों (ओ.पी.एच.), केन्द्रीय गरीबी रेखा से नीचे (सी.बी.पी.एल.), राज्य गरीबी रेखा से नीचे (एस.बी.पी.एल.) और हरियाणा में कुल मात्राओं के कुल राशन कार्डो की संख्या का भाग देकर प्रति राशन कार्ड प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली मात्रा का आंकलन करने के लिए, इन प्राप्त मात्राओं पर कारक विश्लेषण विधि (Principal Component Analysis) का प्रयोग कर प्रत्येक जिले को आबंटित मात्रा के अनुसार क्रमों में विभाजित किया गया है।

हरियाणा के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत विवेचित किया गया हैः–

1. अन्त्योद्य अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के अन्तर्गत आने वाले सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं का कारक विश्लेषणः अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत होने वाली विभिन्न मदों (गेहूँ, मिट्टी का तेल, दाल, चीनी, बाजरा) के वितरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका 1

जिले	गेहूँ (कि.ग्राम)	मिट्टी का तेल (लीटर)	चैनी (कि.ग्राम)	छाल (कि.ग्राम)	बाजरा (कि.ग्राम)	कारक 1	रैंकिंग
अंबाला	4.049079	0.388933	0.236756	0.419776	0	0.67381	9
भिवानी	3.511861	0.623013	0.208103	0.3905	0.158312	-0.92354	16
फरीदाबाद	3.466338	0.473719	0.199813	0.38665	0.03	-1.10855	18
फतेहाबाद	3.962916	0.738843	0.234553	0.419965	0.122211	0.50111	10
गुरूग्राम	3.984577	0.375681	0.227443	0.37805	0.162485	0.47116	11
हिसार	3.575291	0.583027	0.207702	0.421202	0.159346	-0.73344	15
झज्जर	3.885035	0.398465	0.225304	0.311885	0.077799	0.15592	12
जींद	4.101973	0.745159	0.238917	0.423758	0.157755	0.93363	3
कैथल	4.128802	0.697367	0.239811	0.425293	0.129464	1.00341	1
करनाल	3.728742	0.350603165	0.21784897	0.400329	0.126131	-0.32231	14
कुरूक्षेत्र	3.321088	0.273408	0.198572	0.373985	0.12886	-1.60358	20
महेन्द्रगढ़	4.112228	0	0.238556	0.424375	0.154237	0.77886	7
मेवात	3.419086	0.661568	0.1999	0.374854	0.206649	-1.20108	19
पलवल	4.087942	0.704744	0.24	0.425	0.183887	0.88185	6
पंचकूला	4.150206	0.420546062	0.24003288	0.42587296	0.13251486	1.00038	2
पानीपत	4.059745	0.420094	0.239624	0.425283	0.160761	0.72287	8
रेवाड़ी	4.091743	0.713494585	0.23903827	0.42354874	0.12144907	0.8926	5
रोहतक	3.872142	0.447111	0.229565	0.426904	0.153103	0.15044	13
सिरसा	3.497099	0.700043	0.21289	0.335758	0	-0.96463	17
सोनीपत	3.093247	0.579869	0.200075	0.400064	0.162733	-2.22262	21
यमुनानगर	4.121923	0.419031	0.239675	0.423746	0.159072	0.91372	4

स्त्रोतः सार्वजनिक वितरण विभाग, हरियाणा

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कैथल जिले में अंत्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक मात्रा का उठाव किया गया है। इसका कारक मूल्य 1.003 सर्वाधिक है। इसके बाद द्वितीय स्थान पर पंचकूला, तृतीय स्थान पर जींद व चतुर्थ पर यमुनानगर में मात्राओं का उठाव किया गया है। जिनका कारक मूल्य क्रमशः 1.000, 0.934 व 0.914 है। जबकि न्यूनतम मात्रा का उठाव सोनीपत जिले में किया गया है। हरियाणा के समस्त जिलों के आबंटित मात्रा के हिसाब से स्थान अंतिम अर्थात् 21वां रहा। इसका कारक मूल्य –2.223 है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आबंटित मात्राओं में कुरूक्षेत्र, मेवात, फरीदाबाद, सिरसा व भिवानी की स्थिति भी निम्न बनी हुई है, जिन्हें विश्लेषण में क्रमशः 20वां, 19वां, 18वां, 17वां व 16वां स्थान

प्राप्त हुआ है तथा जिनका कारक मूल्य क्रमशः −1.664, −1.201, −1.109, −0.965 व −0.924 है। जो स्पष्ट करता है कि इन जिलों में अंत्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत की जाने वाली मात्राओं के उठाव में वृद्धि करने की आवश्यकता है तथा यह भी स्पष्ट करता है कि मेरे अध्ययन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सोनीपत में स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। अतः राज्य सरकार को इस जिले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. आर्थोपेडिक शारीरिक रूप से विकलांगों (ओ.पी.एच.) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं का कारक विश्लेषणः निम्न तालिका में ओ.पी.एच. के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत होने वाली विभिन्न मदों (गेहूँ, बाजरा) के वितरण का कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग कर प्रत्येक जिले को आबंटित मात्रा के अनुसार क्रमों में विभाजित किया गया है:

तालिका 2

जिले	गेहूँ (कि.ग्राम)	बाजरा (कि.ग्राम)	कारक 1	रैंकिंग
अंबाला	2.435468	0	-0.006387634	10
भिवानी	2.186463	0.043587	-0.726592792	15
फरीदाबाद	2.282023	0.021518	-0.450378499	12
फतेहाबाद	2.644021	0.021673	0.598744298	5
गुरूग्राम	2.135606	0.044284	-0.873959954	18
हिसार	2.174994	0.04141375	-0.759903454	16
झज्जर	2.142686	0.027567	-0.853994997	17
जींद	2.002691	0.04158881	-1.259254338	21
कैथल	2.576057	0.021888	0.401782839	9
करनाल	2.268297	0.02125584	-0.490166932	13
कुरूक्षेत्र	2.01173	0.02149714	-1.23372374	20
महेन्द्रगढ़	2.622909	0.044711	0.538322172	7
मेवात	3.014273	0.061817	1.67311305	2
पलवल	3.196787	0.055206	2.201843537	1
पंचकूला	2.82745605	0.02251079	1.130390877	4
पानीपत	2.626139	0.045616	0.547713117	6
रेवाड़ी	2.88542564	0.02251886	1.29839461	3
रोहतक	2.331767	0.041844	-0.305540493	11
सिरसा	2.19515	0	-0.702860704	14
सोनीपत	2.035824	0.046145	-1.16307962	19
यमुनानगर	2.58745	0.044147	0.435538657	8

स्त्रोतः सार्वजनिक वितरण विभाग, हरियाणा

उपरोक्त विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि पलवल जिले में ओ.पी.एच. के अन्तर्गत सर्वाधिक मात्रा का उठाव किया गया है। अन्य जिलों की तुलना में पलवल का कारक मूल्य (2. 20184) सबसे अधिक है। द्वितीय स्थान पर मेवात, तृतीय स्थान पर रेवाडी और चतुर्थ स्थान पर पंचकूला में मात्राओं का उठाव किया गया है जिनका कारक मूल्य क्रमशः 1.674, 1.299 व 1.130 है। जबकि हरियाणा के कुल जिलों में अंतिम स्थान जींद जिले का रहा जिसका कारक मूल्य −1.259 सबसे कम है। उपरोक्त विश्लेषण में ओ.पी.एच. के अन्तर्गत कुरूक्षेत्र को 20वां, सोनीपत जिले को 19वां, गुरूग्राम को 18वां, झज्जर को 17वां व हिसार को 16वां स्थान प्राप्त है। इन जिलों की स्थिति भी काफी निम्न देखने को मिली है जिनका कारक मूल्य −1.234, −1.164, −0. 874 −0.854 व −0.759 है। जोकि स्पष्ट करता है कि इन जिलों में ओ.पी.एच. के अन्तर्गत की जाने वाली मात्राओं के उठाव में वृद्धि करने की आवश्यकता है। अतः जींद जिले में राज्य सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

3. केन्द्रीय गरीबी रेखा से नीचे (सी.बी.पी.एल.) वाले जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं का कारक विश्लेषणः निम्न तालिका के अन्तर्गत सी. बी.पी.एल. वर्ग में हरियाणा के सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत होने वाली विभिन्न मदों (गेहूँ, मिट्टी का तेल, दाल, चीनी, बाजरा) के वितरण का विश्लेषण किया गया है:

तालिका 3

जिले	गेहूँ (कि.ग्राम)	मिट्टी का तेल (लीटर)	चैनी (कि.ग्राम)	छाल (कि.ग्राम)	बाजरा (कि.ग्राम)	कारक 1	रैंकिंग
अंबाला	2.58408	0.392213	0.236398	0.419081	0	0.05144	10
भिवान ाी	2.26079	0.632845	0.18637	0.388595	0.045385	-0.89921	17
फरीदाबाद	2.522103	0.486576	0.205546	0.389462	0.023752	-0.1535	12
फतेहाबाद	2.847167	0.725038	0.234126	0.521182	0.022609	0.61153	5
गुरूग्राम	2.512267	0.463994	0.2522819	0.3763312	0.0471474	-0.16763	14
हिसार	2.400197	0.589125	0.210098	0.422694	0.046291	-0.51162	15
झज्जर	2.301621	0.391198	0.219424	0.318246	0.033346	-0.69636	16
जींद	2.185095	0.744321	0.238378	0.423553	0.045107	-1.13812	18
कैथल	2.765252	0.688731	0.240254	0.425231	0.023537	0.40424	8
करनाल	2.501773	0.3610975	0.2229072	0.404122	0.0228734	-0.1524	11

कुरूक्षेत्र	2.172475	2.172475	0.196634	0.373706	0.023035	-1.7727	21
महेन्द्रगढ़	2.720264	0	0.23885	0.0423806	0.046345	0.54109	6
मेवात	3.280023	0.653375	0.199929	0.374894	0.06711	1.76256	2
पलवल	3.420986	0.692468	0.24	0.425	0.058272	2.12166	1
पंचकूला	3.043632	0.413948	0.237946	0.420769	0.024026	1.24732	3
पानीपत	2.670082	0.414855	0.23818	0.422502	0.04628	0.26937	9
रेवाड़ी	2.861532	0.6990072	0.2380617	0.4220386	0.0226444	0.65176	4
रोहतक	2.508563	0.44688	0.230709	0.425503	0.044716	-0.16727	13
सिरसा	2.165259	0.66821	0.208576	0.34486	0	-1.16835	19
सोनीपत	2.084341	0.581097	0.199967	0.399845	0.047185	-1.33815	20
यमुनानगर	2.760598	0.418239	0.239109	0.413379	0.046872	0.50437	7

स्त्रोतः सार्वजनिक वितरण विभाग, हरियाणा

उपरोक्त तालिका के अन्तर्गत सभी वस्तुओं की जिलेवार आबंटित मात्रा में प्रत्येक जिले में जारी सी.बी.पी.एल. के कुल राशन कार्डो की संख्या का भाग देकर प्रति राशन कार्ड प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली मात्रा का आंकलन किया गया है। विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि पलवल जिले में सी.बी.पी.एल. में सर्वाधिक मात्रा का उठाव किया गया है। इसका कारक मूल्य (2.122) सर्वाधिक है। द्वितीय स्थान पर मेवात, तृतीय स्थान पर पंचकूला और चतुर्थ स्थान रेवाड़ी जिले में मात्राओं का उठाव किया गया है जिनका कारक मूल्य क्रमशः 1.763, 1.248 व 0.652 है। न्यूनतम मात्रा का उठाव कुरूक्षेत्र जिले में किया गया है जिसका हरियाणा के कुल जिलों में अंतिम स्थान 21वां रहा। जिसका कारक मूल्य –1.773 है। इसके अलावा सी.बी.पी.एल. के अन्तर्गत आबंटित मात्राओं में सोनीपत, सिरसा, जींद, भिवानी व झज्जर की स्थिति भी निम्न बनी हुई है, जिन्हें विश्लेषण में क्रमशः 20वां, 19वां, 18वां, 17वां व 16वां स्थान प्राप्त हुआ है जिनका कारक मूल्य –1.339, –1.169, –1.139 –0.899 व –0.697 है। जो स्पष्ट करता है कि इन जिलों में सी.बी.पी.एल. के अन्तर्गत की जाने वाली मात्राओं के उठाव में वृद्धि करने की आवश्यकता है तथा यह भी स्पष्ट करता है कि कुरूक्षेत्र जिले की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। अतः राज्य सरकार को इस जिले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

4. राज्य गरीबी रेखा से नीचे (एस.बी.पी.एल.) वाले जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं का कारक विश्लेषणः निम्न तालिका में एस.बी.पी.एल. के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत होने वाली विभिन्न मदों (गेहूँ, मिट्टी का तेल, दाल, चीनी, बाजरा) के वितरण का कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग कर प्रत्येक जिले को आबंटित मात्रा के अनुसार क्रमों में विभाजित किया गया हैः

तालिका 4

जिले	गेहूँ (कि.ग्राम)	मिट्टी का तेल (लीटर)	चीनी (कि.ग्राम)	दाल (कि.ग्राम)	बाजरा (कि.ग्राम)	कारक 1	रैंकिंग
अंबाला	2.489	0.388	0.237	0.421	0.000	0.141	10
भिवानी	2.230	0.608	0.209	0.392	0.044	-0.847	16
फरीदाबाद	2.418	0.449	0.200	0.390	0.023	-0.134	12
फतेहाबाद	2.803	0.717	0.231	0.362	0.022	0.524	5
गुरूग्राम	1.992	0.307	0.208	0.373	0.047	-1.074	19
हिसार	2.210	0.526	0.215	0.421	0.042	-0.787	15
झज्जर	2.308	0.404	0.211	0.289	0.027	-0.374	13
जींद	2.228	0.724	0.240	0.425	0.046	-1.004	17
कैथल	2.686	0.657	0.239	0.424	0.023	0.302	9
करनाल	2.405	0.362	0.223	0.404	0.022	-0.049	11
कुरूक्षेत्र	1.859	0.259	0.192	0.364	0.020	-1.366	21
महेन्द्रगढ़	2.553	0.000	0.238	0.422	0.044	0.837	4
मेवात	3.225	0.634	0.200	0.375	0.066	1.757	2
पलवल	3.336	0.687	0.240	0.425	0.057	1.988	1
पंचकूला	3.071	0.410	0.238	0.419	0.024	1.657	3
पानीपत	2.639	0.419	0.240	0.425	0.045	0.499	6
रेवाड़ी	2.734	0.681	0.236	0.419	0.022	0.397	7
रोहतक	2.275	0.396	0.227	0.425	0.042	-0.437	14
सिरसा	2.171	0.642	0.215	0.352	0.000	-1.056	18
सोनीपत	2.019	0.550	0.200	0.399	0.046	-1.328	20
यमुनानगर	2.583	0.417	0.239	0.442	0.044	0.355	8

स्त्रोतः सार्वजनिक वितरण विभाग, हरियाणा

इस विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि पलवल जिले में एस.बी.पी.एल. के अन्तर्गत सर्वाधिक मात्रा का उठाव किया गया है। अन्य जिलों की तुलना में पलवल का कारक मूल्य (1.988) सबसे अधिक है। द्वितीय स्थान पर मेवात, तृतीय स्थान पर पंचकूला और चतुर्थ स्थान पर महेन्द्रगढ़ जिले में मात्राओं का उठाव किया गया है जिनका कारक मूल्य क्रमशः 1.757, 1.657 व 1.837 है। हरियाणा के कुल जिलों में अंतिम स्थान कुरूक्षेत्र जिले का रहा जिसका कारक मूल्य –1.366 सबसे कम है। उपरोक्त विश्लेषण में एस.बी.पी.एल. के अन्तर्गत सोनीपत को 20वां, गुरूग्राम जिले को 19वां, सिरसा को 18वां, जींद को 17वां व भिवानी को 16वां स्थान प्राप्त है। इन जिलों की स्थिति भी काफी निम्न देखने को मिली है जिनका कारक मूल्य –1.328, –1.074,

−1.056 −1.004 व −0.847 है। जोकि स्पष्ट करता है कि इन जिलों में एस.बी.पी.एल. के अन्तर्गत की जाने वाली मात्राओं के उठाव में वृद्धि करने की आवश्यकता है। अतः कुरूक्षेत्र जिलें में राज्य सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

5. हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित विभिन्न वस्तुओं की कुल मात्राओं का कारक विश्लेषणः

उपरोक्त तालिका से हरियाणा के सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित विभिन्न मदों की कुल मात्राओं (गेहूँ, मिट्टी का तेल, दाल, चीनी, बाजरा) के वितरण का विश्लेषण किया गया हैः

तालिका 5

जिले	गेहूँ (कि.ग्राम)	मिट्टी का तेल (लीटर)	चीनी (कि.ग्राम)	दाल (कि.ग्राम)	बाजरा (कि.ग्राम)	कारक 1	रैंकिंग
अंबाला	2.628	0.185	0.112	0.199	0.000	0.021	9
भिवानी	2.324	0.266	0.089	0.167	0.054	0.556	7
फरीदाबाद	2.350	0.119	0.052	0.101	0.022	-0.967	19
फतेहाबाद	2.841	0.330	0.106	0.191	0.032	1.559	2
गुरूग्राम	2.354	0.146	0.087	0.144	0.057	-0.635	14
हिसार	2.332	0.201	0.074	0.148	0.052	-0.110	12
झज्जर	2.349	0.131	0.073	0.103	0.033	-0.822	16
जींद	2.279	0.285	0.093	0.165	0.055	0.708	6
कैथल	2.844	0.312	0.110	0.195	0.038	1.386	3
करनाल	2.406	0.114	0.071	0.128	0.028	-0.932	18
कुरूक्षेत्र	2.168	0.112	0.081	0.153	0.033	-1.078	20
महेन्द्रगढ़	2.913	0.000	0.129	0.228	0.065	-1.598	21
मेवात	3.087	0.174	0.054	0.101	0.073	0.026	8
पलवल	3.328	0.230	0.080	0.141	0.068	0.799	5
पंचकूला	2.939	0.093	0.054	0.095	0.029	-0.850	17
पानीपत	2.705	0.112	0.064	0.114	0.051	-0.797	15
रेवाड़ी	3.036	0.381	0.130	0.231	0.038	2.237	1
रोहतक	2.434	0.162	0.087	0.161	0.048	-0.405	13
सिरसा	2.386	0.321	0.101	0.016	0.000	1.024	4
सोनीपत	2.119	0.224	0.079	0.157	0.058	-0.012	10
यमुनानगर	2.724	0.171	0.098	0.174	0.052	-0.110	11

स्त्रोतः सार्वजनिक वितरण विभाग, हरियाणा

उपरोक्त विश्लेषण के अन्तर्गत सभी वस्तुओं की जिलेवार आबंटित मात्रा में प्रत्येक जिले में जारी कुल मात्राओं के कुल राशन कार्डो की संख्या का भाग देकर प्रति राशन कार्ड प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली मात्रा का आंकलन किया गया है। विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि रेवाड़ी जिले में कुल मात्रा का सर्वाधिक उठाव किया गया है। इसका कारक मूल्य (2.237) सर्वाधिक है। द्वितीय स्थान पर फतेहाबाद, तृतीय स्थान पर कैथल और चतुर्थ स्थान पर सिरसा जिले में मात्राओं का उठाव किया गया है जिनका कारक मूल्य क्रमशः 1.559, 1.386 व 1.024 है। जबकि न्यूनतम मात्रा का उठाव महेन्द्रगढ़ जिले में किया गया है जिसका हरियाणा के कुल जिलों में अंतिम स्थान 21वां रह जिसका कारक मूल्य −1.598 है। इसके अलावा कुरूक्षेत्र, फरीदाबाद, करनाल, पंचकूला व झज्जर की स्थिति भी निम्न बनी हुई है, जिन्हें विश्लेषण में क्रमशः 20वां, 19वां, 18वां, 17वां व 16वां स्थान प्राप्त हुआ है जिनका कारक मूल्य −1.078, −0.967, −0.932, −0.850 व −0.822 है। जो स्पष्ट करता है कि इन जिलों में की जाने वाली कुल मात्राओं के उठाव में वृद्धि करने की आवश्यकता है तथा यह भी स्पष्ट करता है कि महेन्द्रगढ़ जिले की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। अतः राज्य सरकार को इस जिले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

शोधपत्र में हरियाणा के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति की गणना की गई है। इसमें ए.ए.वाई., ओ.पी. एच., सी.बी.पी.एल. और एस.बी.पी.एल., हरियाणा में कुल मात्राओं के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत होने वाली विभिन्न मदों (गेहूँ, मिट्टी का तेल, दाल, चीनी, बाजरा) के वितरण का उल्लेख किया गया है। इस विश्लेषण के द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और सार्वजनिक वितरण विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किए गए आँकडों का प्रयोग किया गया है तथा विश्लेषण के लिए सभी वस्तुओं की जिलेवार आबंटित मात्रा में प्रत्येक जिलें में जारी ए.ए.वाई. के कुल राशन कार्डों की संख्या का भाग देकर प्रति राशन कार्ड प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली मात्रा का आंकलन करने के लिए इन प्राप्त मात्राओं पर कारक विश्लेषण विधि (Principal Component Analysis) का प्रयोग कर प्रत्येक जिले को आबंटित मात्रा के अनुसार क्रमों में विभाजित किया गया है। ए.ए.वाई. के अन्तर्गत सबसे अधिक उठाव कैथल जिले में किया गया जिसका कारक मूल्य 1.003 है और न्यूनतम उठाव सोनीपत जिले में किया गया है जिसका कारक मूल्य −2.223 रहा है। ओ.पी.एच. के अनुसार विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि सबसे अधिक उठाव पलवल जिले में किया गया है जिसका कारक मूल्य 2.202 रहा है और सबसे निम्नतम उठाव जींद जिले में किया गया जिसका कारक मूल्य −1.259 रहा। उपरोक्त विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि सी.बी.पी.एल. में भी सबसे अधिक उठाव पलवल जिले में किया गया जिसका कारक मूल्य 2.122 रहा और न्यूनतम मात्रा का उठाव कुरूक्षेत्र जिले में किया गया जिसका कारक मूल्य −1.773 रहा। एस.बी.पी.एल. के अन्तर्गत भी सर्वाधिक उठाव पलवल जिले में ही किया गया जिसका कारक मूल्य 1.988 रहा और न्यूनतम उठाव कुरूक्षेत्र जिले में किया गया जिसका कारक मूल्य −1.366 सबसे कम रहा। कुल मात्राओं के आधार पर विश्लेषण करने पर सर्वाधिक उठाव रेवाड़ी जिले में किया गया और न्यूनतम उठाव महेन्द्रगढ़ जिले में किया गया जिसका हरियाणा के कुल जिलों में अंतिम स्थान रहा है। अध्ययन क्षेत्र के

आधार पर सोनीपत, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़ जिलों में न्यूनतम उठाव रहा है, राज्य सरकार को इन जिलों में उठाव में वृद्धि करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1. Ram Atma. Public Distribution System in Haryana. International Journal of Research in Engineering. IT & Social Sciences. 2015; 5:4.
2. Bhagwat RO, Raut DN, Harmoniz J Res. Eng. 2016; 4(3):76-83.
3. Shanmugam P, Thomas Deepa K. Performance of Public Distribution System in Allocation and Distribution of Grains in Kerala. EPRA International Journal of Economic and Business Review. 2017, 5.
4. Kumar A, Ayyappan S. Food Security and Public Distribution System in India, National Academy of Agricultural Sciences, Springer. 2014; 3(3):271-277.
5. Tanksale A, Jha JK. Implementing National Food Security Act in India: issues and challenges, British Food Journal, Emrald Insight, 2015; 117(4):1315-1335.
6. Public Distribution Department, Haryana.
7. http://haryanafood.gov.in/orders/order6.pdf
8. www.pdsportal.nic.in